


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 697 द्वारा श्रीमती उषा चौधरी

परिशिष्ट-अ
(राशि रु लाख में)

स. क्र	मुख्य अभियंता का नाम	जिले का नाम	बांध का नाम	क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	सुधार पर संभावित व्यय	जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/टेकेदार के कार्यवाही का विवरण	बांध फूटने के विरुद्ध जांच नुकसान की वसूली का विवरण
1	यमुना कछार, ग्वालियर	श्यापुर	वारधा तालाब	16.07.16	100	कोई अधिकारी दोषी नहीं है।	अतिवृष्टि के कारण बांध क्षतिग्रस्त हुआ। प्राकृतिक आपदा के कारण कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। इसलिये वसूली की स्थिति नहीं है।
2	गंगा कछारा, रीवा	सतना	1. विजय सागर बांध 2. अधियारी सागर बांध	05.07.16 एवं 06.07.16 18.08.16	2.38 एजेंसी कार्यरत। उसी के द्वारा कार्य किया जायेगा।	कोई दोषी नहीं है। कोई दोषी नहीं है।	अतिवर्षा से क्षति हुई है कोई दोषी नहीं है।
3	धसान केन कछार, सागर	पन्ना	1. सिरस्वाहा बांध 2. बिलखुरा बांध	06.07.16 एवं 07.07.16 06.07.16 एवं 07.07.16		कार्य.यंत्री/अनु.अधि./उपयंत्री निलंबित, विभागीय जांच स्थापित। मेसर्स त्रिशूल कंसल्टेशन, जबलपुर को काली सूची में डालने हेतु मुख्य अभियंता, सागर द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिसके विरुद्ध टेकेदार द्वारा मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की गई है। कार्य.यंत्री/अनु.अधि./उपयंत्री निलंबित, विभागीय जांच स्थापित संबंधित टेकेदार मे. देवी कं.रीवाको पंजीबद्ध काली सूची में डाला जा चुका है।	अज्ञात तत्वों द्वारा उपरोक्त क्षतिग्रस्त किया गया था जिसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। विभागीय जांच जारी है। विभागीय जांच जारी है।

परिशिष्ट-अ
प्रश्न सं. [697]

[5/12/2016]


(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल